



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/सीए/सीआईआर/विविध/086/04/2020
Ref: IRDAI/CA/CIR/MISC/086/04/2020

दिनांक- 08.04.2020
Date- 08.04.2020

प्रति, संबंधित सरकारी क्षेत्र बैंकों (पीएसबी) और बीमाकर्ताओं के सीईओ
To CEOs of concerned Public Sector Banks(PSBs) and Insurers

विषय: 1 अप्रैल 2020 से विलयित सरकारी क्षेत्र बैंकों (पीएसबी) के कारपोरेट एजेंसी विषय
Re: Corporate Agency matters of the PSBs that have merged w.e.f. 1st April 2020

1. परिपत्र का विस्तार / Scope of the circular

यह परिपत्र 1 अप्रैल 2020 से लागू किये गये महा विलय प्रयोग से उभरने वाले चार बैंकों अर्थात् पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया और इंडियन बैंक एवं संबंधित बीमाकर्ताओं पर लागू है। इस परिपत्र में उक्त चार बैंकों का उल्लेख 'अधिग्राहक बैंक' के रूप में किया गया है तथा उक्त अधिग्राहक बैंक के साथ विलयित बैंकों का उल्लेख 'अधिगृहीत बैंक' के रूप में किया गया है।

This circular is applicable to the four banks emerging from the mega merger exercise effected from 1st April, 2020; i.e. Punjab National Bank, Canara Bank, Union Bank of India and Indian Bank and concerned insurers. In this circular, the four banks are referred as 'Acquiring Bank' and the banks that were merged with the acquiring bank are referred as 'Acquired Bank'.

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण / Surrender of Certification of Registration (COR)

अधिग्राहक बैंक कारपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का प्रतिधारण करेगा तथा प्राधिकरण को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करते हुए अधिगृहीत बैंकों द्वारा प्रतिधारित पंजीकरण प्रमाणपत्रों (सीओआर) का अभ्यर्पण करेगा। उक्त अभ्यर्पण की अनुमति अधिगृहीत बैंकों के साथ व्यवस्था रखनेवाले बीमाकर्ताओं के साथ उपयुक्त व्यवस्था करने के द्वारा अधिगृहीत बैंकों के वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग के संबंध में अधिग्राहक बैंक से वचन प्राप्त करने के अधीन दी जाएगी। संबंधित बीमाकर्ता और

8

1

102



अधिग्राहक बैंक के बीच करार न होने की स्थिति में पालिसी अवधि की समाप्ति तक अधिगृहीत बैंकों के वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग करने के लिए बीमाकर्ता उत्तरदायी होगा।

Acquiring bank shall retain the existing COR to act as a corporate agent and surrender COR(s) held by acquired banks by submitting written request to the Authority. The surrender shall be allowed subject to undertaking from the acquiring bank regarding servicing of existing policyholders of acquired banks by entering into suitable arrangement with the insurers that had arrangement with acquired banks. In case of non-agreement between concerned insurer and acquiring bank, the insurer shall be responsible for servicing existing policyholders of acquired bank still expiry of the policy term.

3. अधिग्राहक बैंकों और बीमाकर्ताओं के बीच कारपोरेट एजेंसी करारों का सुमेलन/
Harmonisation of corporate agency agreements between acquiring banks and insurers

क. आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 3 के उपबंधों के होते हुए भी, अधिग्राहक बैंक विलयन की तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए बीमाकर्ताओं की जीवन, साधारण और स्वास्थ्य श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में 3 से अधिक संस्थाओं के साथ व्यवस्था को अधिगृहीत बैंकों द्वारा निष्पादित वर्तमान कारपोरेट एजेंसी करार में एक परिशिष्ट के जरिये उनके नाम अधिगृहीत बैंकों की वर्तमान बीमा व्यवस्थाओं के अंतरण के द्वारा जारी रख सकता है। यह छूट केवल अधिग्राहक बैंकों को अधिगृहीत बैंकों की वर्तमान बीमा व्यवस्थाओं के अंतरण के लिए ही अनुमति देती है तथा इसे अन्य बीमाकर्ताओं के साथ नई व्यवस्थाएँ करने के लिए प्राधिकरण की अनुमति के रूप में नहीं समझना चाहिए।

Notwithstanding the provisions of Reg. 3 of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, the acquiring bank may continue arrangement with more than 3 entities in each of the life, general and health categories of insurers for a period of 12 months from the date of merger by transfer of the existing insurance arrangements of the acquired banks to their name by way of an addendum to the existing corporate agency agreement executed by the acquired banks. This exemption allows only for transfer of existing insurance arrangements of acquired banks to the acquiring banks and shall not be construed as permission of the Authority to enter into new arrangements with other insurers.



ख. अधिग्राहक बैंक आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 20(1) के अनुसार खुली संरचना को अपनाने के संबंध में तथा बीमा पालिसियों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और सर्विसिंग के तरीके के संबंध में विधिवत् बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

The acquiring banks shall submit to Authority duly revised Board approved policy on adoption of open architecture and on the manner of soliciting and servicing insurance policies, as per Reg. 20(1) of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, within 60 days of completion of the merger.

4. अधिगृहीत बैंकों के विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) का अधिग्राहक बैंक को अंतरण / Transfer of Specified Persons (SPs) of acquired banksto theacquiring bank

अधिग्राहक बैंक को विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) के अंतरण की पहचान अधिगृहीत बैंकों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों (सीओआर) के अभ्यर्पण का अनुमोदन होने पर प्राधिकरण द्वारा स्वयमेव की जाएगी। संशोधित एसपी प्रमाणपत्रों के निर्गम के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। पीओ प्रमाणपत्र का प्रतिधारण करने के लिए केवल अधिग्राहक बैंक के प्रधान अधिकारी (पीओ) को अनुमति दी जाएगी तथा अधिगृहीत बैंकों के प्रधान अधिकारियों को प्रदान किये गये प्रमाणपत्र स्वयमेव निरस्त किये जाएंगे।

Transfer of SPsto the acquiring bank shall be automatically recognised by the Authority on approval of surrender of CORs of acquired banks. No fee will be charged for issuance of revised SP certificates.Only the principal officer (PO) of acquiring bank shall be allowed to retain the PO certificate and the certificates granted to principal officers of acquired banksshall be automatically cancelled.

5. अधिग्राहक बैंकों के लिए लागू नवीकरण कमीशन / Renewal commission applicable to acquiring banks

अधिग्राहक बैंक अधिगृहीत बैंकों की जीवन बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत नवीकरण कमीशन केवल पालिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ करने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं।

The acquiring banks may receive renewal commissions under the life insurance arrangements of acquired banksonly after entering suitable arrangements for servicing of the policyholders.

Handwritten signature



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

6. ये अनुदेश आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 32 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34(1) के उपबंधों के अधीन जारी किये जाते हैं।

These instructions are issued under the provisions of Sec. 34 (1) of the Insurance Act, 1938 read with Reg. 32 of IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

(के. गणेश / K. Ganesh)

सदस्य (जीवन) / Member (Life)